

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)()डीएलबी/20/5032

दिनांक: 28-7-2021


आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका रावतभाटा जिला चित्तौडगढ में न्यायिक प्रकरणों की पैरवी करने हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है:-

क्रं.स.	अधिवक्ता का नाम	संबंधित नगर निगम/ परिषद/पालिका का नाम
1.	श्री राघवेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री खेतपाल सिंह (इन्डोलमेन्ट नं. आर/628/1982)	नगरपालिका रावतभाटा जिला चित्तौडगढ
2.	श्री अभिषेक गर्ग पुत्र श्री चान्दमल गर्ग (इन्डोलमेन्ट नं. आर/3686/2010)	नगरपालिका रावतभाटा जिला चित्तौडगढ

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान संबंधित नगरीय निकाय से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)()डीएलबी/20/5033-5042

दिनांक: 28-7-2021

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
05. अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रावतभाटा जिला चित्तौडगढ।
06. श्री राघवेन्द्र पाल सिंह अधिवक्ता, मार्फत नगरपालिका, रावतभाटा जिला चित्तौडगढ।
07. श्री अभिषेक गर्ग, अधिवक्ता, मार्फत नगरपालिका, रावतभाटा जिला चित्तौडगढ।
08. प्रोग्रामर, निदेशालय जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
09. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी